न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 63/2013

1. दीनदयाल पुत्र बद्रिया जाति मीणा निवासी सोकन्दा तह0 मांगरोल जिला बारां
2. मांगी बाई पुत्री बद्रिया पत्नि मातीलाल जाति मीणा निवासी कोटा रोड बारां
3. द्वारक्या बाई पुत्री बद्रिया पत्नि राजेन्द्र जाति मीणा निवासी चैनपुरिया तह0 मांगरोल

..... प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. नाथी बाई पुत्री कल्याण पत्नि रामदयाल जाति मीणा निवासी सोकन्दा व मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

पीठासीन अधिकारी : हिम्मताराम मेहरा (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री भंवरसिंह गौड, श्री लवकुल गौड
वकील अप्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा, श्री कुलदीप सिंह हाडा
दायरा दिनांक: 23.09.2013 निर्णय दिनांक : 12.09.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 23 खसरा नं0 221 रकबा 1.67 है0, खसरा नं0 22 रकबा 1.56 है0, खसरा नं0 153 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 236 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 288 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 333 रकबा 1.34 है0 किता 6 रकबा 5.21 है0 आराजी वाके ग्राम सोकन्दा में स्थित है। इस आराजी में प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के खातेदार है। व अप्रार्थी नं0 1 भी 1/2 हिस्से की खातेदार है। आगे कथन किया कि अप्रार्थीया कम 1 के पिता कल्याण का देहान्त सोकन्दा में ही दिनांक 14.04.2011 को हो चुका है। उनकी मृत्यु पश्चात सभी कार्य वादी दीनदयाल ने किय व कल्याण की भी इच्छा थी की मेरी पगडी दीनदयाल के बांधी जावे व दीनदयाल ही मेरी चल अचल संपत्ती का वारिस होगा। प्रार्थी दीनदयाल ही मृतक कल्याण की सम्पत्ती आराजी की देखभाल व उपयोग कर रहा है। दौराने सेटलमेंट अप्रार्थीया नाथी बाई ने अपने पिता की मौजूदगी में ही अपना नाम 1/2 हिस्से पर दर्ज करा लिया है जो विधि विरूद्ध है।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि अप्रार्थीया खातेदार बनजाने से अपने 1/2 हिस्से को खुर्द-बुर्द करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो प्रार्थीगण को बहुत ज्यादा क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्राइमापेशी केस है। सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। और न्यायालय से प्रार्थना की कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को बैचान ना करें। प्रार्थीगण को शांती पूर्ण तरीके से काश्त करने देवे।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थीया को तलब किया गया। अप्रार्थीया ने जर्ये अधिवक्ता जवाब पेश करके प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को अस्वीकार करने का निवेदन किया कि मृतक कल्याण की अप्रार्थीया एक मात्र सुलभी पुत्री है। जो कल्याण के स्थान पर खातेदार बनने की अधिकारिणी है। कल्याण की मृत्यु हो चुकी है। तथा कल्याण के समय से ही अप्रार्थीया 1/2 हिस्से को काश्त कर रही है। कल्याण ने कभी दीनदयाल को अपना वारिस व उत्तराधिकारी नही माना है। गौदनामे का कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के पास नही है। अप्रार्थीया 1/2 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार व कब्जा काश्त है। तथा रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध टी0आई0 जारी नही की जा सकती। तथा एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता। अप्रार्थीया कम 1 अपने हिस्से 1/2 की सहखातेदार है। तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे। तथा अप्रार्थीया कम 1 हिस्से पर प्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। कि वे किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत दस्तावेजो व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने उन्ही तथ्यो को दोहराया है जो उन्होने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है। तथा अपने पक्ष में आर0आर0सी0 2002 पेज नं0 339–340 प्रस्तुत किया है। तथा बहस में बताया कि अनुसूचित जनजाति मीणा जाति पर भारतीय उत्तराधिकार लागू नही होता है। इसलिए मीणा जाति में पुत्र नही होने पर अप्रार्थीया को आराजी में कोई हिस्सा नही मिलेगा।

वकील अप्रार्थी कम 1 श्री महेन्द्र सिंह हाडा ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण ने पेश नही किया है, कि जिससे यह प्राईमापेशी ही पता लगे कि मृतक कल्याण ने दीनदयाल को गौद पुत्र माना है। इनको दत्तक की घोषणा कराने के लिए दीवानी न्यायालय में जाना चाहिऐ था। उभयपक्ष इस बात से सहमत है कि नाथी बाई कल्याण की पुत्री है तथा कल्याण की मृत्यु हो चुकी है तथा वकील अप्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीया 1/2 हिस्से की रेकार्डेड सहखातेदार है। ऐसी परिस्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीया के विरूद्ध जारी नही हो सकती। अपनी बहस के समर्थन में वकील अप्रार्थीया ने आर0आर0डी0 2003 पेज 18 पेश करके प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज करने की प्रार्थना की।

न्यायालय के मत अनुसार उभयपक्ष 1/2–1/2 हिस्से के सहखातेदार है। प्रार्थीगण के पास गोदनामे संबंधी कोई लिखित सबूत नही है। यह स्वीकार्य तथ्य है कि अप्रार्थीया मृतक कल्याण की एक मात्र सुलभी पुत्री हे। ऐसी स्थिति में न्यायालय अप्रार्थीया के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखना उचित नही समझती है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.09.2013 को जवाब पेश होने तक जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2017 को सरेईजलास सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल